भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2732

07 अगस्त, 2024 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों का आबंटन

2732. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

श्री संजय दीना पाटिल:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

श्री अमर शरदराब काले:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत खाद्यान्नों के आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को खाद्यान्नों के आवंटन में वृद्धि करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल किए गए खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मोटे अनाज को भी बढ़ावा दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और देश में इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) क्या भारतीय खाद्य निगम ने भंडारण क्षेत्र में सुधार लाने के लिए पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): पिछले तीन वर्षों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और टाइड ओवर के तहत खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का राज्य-वार आबंटन दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-। में दिया गया है।

...2/-

(ख): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 46.235 लाख टन खाद्यान्न प्रति माह (लगभग 554.83 लाख टन प्रति वर्ष) आबंटित किए जा रहे हैं। वर्तमान में, 81.35 करोड़ लाभार्थियों की कवरेज सीमा के प्रति राज्य सरकारों ने 80.54 करोड़ लाभार्थियों को चिह्नित किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार लाभार्थियों के नाम जोड़ना अथवा हटाना एक सतत प्रक्रिया है। शेष लाभार्थियों की पहचान किए जाने पर, खाद्यान्नों के आबंटन को नियमित रूप से संशोधित किया जाता है।

(ग): राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ख़ाद्य सब्सिडी के तिमाही दावों के आधार पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खाद्य सब्सिडी जारी की जाती है ताकि केंद्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत खाद्यान्नों का वितरण किया जा सके। इसके अलावा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान करता है ताकि इस प्रयोजनार्थ तैयार किए गए मानदंडों के अनुसार राज्य के भीतर खाद्यान्नों की ढुलाई, हैंडलिंग और उचित दर दुकान (एफपीएस) के डीलरों के मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा किया जा सके। पिछले तीन वर्षों में महाराष्ट्र को जारी निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(आंकड़े करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	खाद्य सब्सिडी	खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए जारी की गई निधि	कुल
1	2021-22	4082.07	289.72	4371.79
2	2022-23	2725.75	621.69	3347.44
3	2023-24	3923.29	703.54	4626.83

(घ) से (च): गेहूं और चावल के अलावा, मिलेट्स (श्री अन्न) भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का भाग है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा पीडीएस के तहत वितरण के लिए मिलेट्स (श्री अन्न) की अनुमोदित मात्रा के स्थान पर गेहूं/चावल की समान मात्रा का आबंटन किया जाता है। उक्त आबंटन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत दिनांक 1 जनवरी 2023 से नि:शुल्क किया जा रहा है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के फील्ड कार्यालयों ने मिलेट्स (श्री अन्न) जागरूकता कार्यक्रम/प्रतियोगिता/सेमिनार आदि का आयोजन किया है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक मिलेट्स (श्री अन्न)/मोटे अनाज के आबंटन का ब्यौरा अनुबंध-।। में संलग्न है।

...3/-

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि वे केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मिलेट्स (श्री अन्न) की खरीद करें और स्थानीय उपभोग प्राथमिकताओं के अनुसार एनएफएसए लाभार्थियों को वितरित करें।

(छ): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के भंडारण क्षेत्र में सुधार करने के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं :-

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलोज़ का निर्माण।
2. कवर्ड और प्लिंथ क्षमता को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना।
3. भारतीय गुणवत्ता परिषद से भारतीय खाद्य निगम द्वारा वेयरहाउस का तृतीय पक्ष आकलन।
4. वेयरहाउस प्रचालनों का यंत्रीकरण।
5. भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का प्रमाणन।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 07.08.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2732 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

(हजार टन में)

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24	
		एनएफएसए	टाइड ओवर	एनएफएसए	टाइड ओवर	एनएफएसए	टाइड ओवर
1	आंध्र प्रदेश	1849.78	22.07	1849.78	22.07	1849.78	22.07
2	अरुणांचल प्रदेश	57.33	31.66	57.33	31.66	57.33	31.66
3	असम	1628.00	66.73	1628.93	66.20	1628.93	66.20
4	बिहार	5527.10	0.00	5527.10	0.00	5527.10	0.00
5	छत्तीसगढ़	1384.06	0.00	1384.06	0.00	1384.06	0.00
6	दिल्ली	448.68	0.00	448.69	0.00	448.78	0.00
7	गोवा	34.40	24.65	34.40	24.65	34.40	24.65
8	गुजरात	2175.74	0.00	2185.38	0.00	2211.23	0.00
9	हरियाणा	795.00	0.00	795.00	0.00	795.00	0.00
10	हिमाचल प्रदेश	202.29	305.73	202.29	305.73	202.29	305.73
11	झारखंड	1724.90	0.00	1743.73	0.00	1751.02	0.00
12	कर्नाटक	2608.82	0.00	2608.84	0.00	2608.84	0.00
13	केरल	1025.52	399.53	1025.52	399.53	1025.52	399.53
14	मध्य प्रदेश	3165.84	0.00	3259.68	0.00	3436.08	0.00
15	महाराष्ट्र	4605.19	0.00	4605.19	0.00	4605.19	0.00
16	मणिपुर	130.99	0.00	136.17	0.00	136.29	0.00
17	मेघालय	140.73	35.57	140.73	35.57	140.73	35.57
18	मिजोरम	45.94	19.82	45.94	19.82	47.54	18.22
19	नागालैंड	91.59	46.47	91.59	46.47	91.59	46.47
20	ओडिशा	2244.23	0.00	2249.71	0.00	2251.62	0.00
21	पंजाब	870.12	0.00	870.12	0.00	870.12	0.00
22	राजस्थान	2770.58	0.00	2770.58	0.00	2770.58	0.00
23	सिक्किम	26.38	17.95	26.37	17.95	26.37	17.95
24	तमिलनाडु	2559.71	1118.05	2559.71	1118.05	2569.53	1108.22
25	तेलंगाना	1296.05	41.95	1296.05	41.95	1296.05	41.95
26	त्रिपुरा	163.68	107.55	163.64	107.59	164.34	106.89
27	उत्तराखंड	401.46	101.54	401.46	101.53	401.46	101.53

...2/-

28	उत्तर प्रदेश	9782.05	0.00	9878.53	0.00	9935.48	0.00
29	पश्चिम बंगाल	3970.62	0.00	3970.62	0.00	3970.62	0.00
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4.37	25.18	4.37	25.18	4.37	25.18
31	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	15.42	0.00	15.16	0.00	15.13	0.00
33	जम्मू एवं कश्मीर	468.80	265.86	468.80	265.86	468.80	265.86
34	लद्दाख	9.44	6.98	9.44	6.98	9.44	6.98
35	लक्षद्वीप	1.52	3.10	1.52	3.10	1.52	3.10
36	पुदुच्चेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	52226.33	2640.38	52456.43	2639.88	52737.13	2627.76

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 07.08.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2732 के उत्तर के भाग (घ) से (च) में उल्लिखित अनुबंध।

(हजार टन में)

वर्ष	राज्य	अनाज के प्रकार	मात्रा	कुल	सकल योग
2021-22	कर्नाटक	रागी	556.101	558.864	**560.845**
	उत्तर प्रदेश	मक्का	2.763		
	ओडब्ल्यूएस-डब्ल्यूबीएनपी *	बाजरा	1.981	1.981	
2022-23	कर्नाटक	रागी/ज्वार	470.292	583.834	**585.528**
	हरियाणा	बाजरा/मक्का	67.500		
	मध्य प्रदेश	ज्वार	0.237		
	उत्तर प्रदेश	बाजरा	43.443		
	केरल	रागी	0.991		
	तमिलनाडु	रागी	1.371		
	ओडब्ल्यूएस-डब्ल्यूबीएनपी *	बाजरा	1.694	1.694	
2023-24	आंध्र प्रदेश	रागी	27.516	1231.896	**1231.896**
	गुजरात	ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का	128.138		
	हरियाणा	बाजरा	136.000		
	कर्नाटक	रागी	700.000		
	केरल	रागी	0.517		
	तमिलनाडु	रागी	4.458		
	उत्तर प्रदेश	बाजरा	235.267		

* ओडब्ल्यूएस-डब्ल्यूबीएनपी: अन्य कल्याणकारी योजनाएं - गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम।